### Most Immediate Confidential

No. Shiksha-II -Chha-(11)-1/2006 Part-I Government of Himachal Pradesh Department of Higher Education

From

The Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh

To

The Director of Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla-171001.

Dated: Shimla-2,

05.06.2021.

Subject:

Himachal Pradesh Private Schools (Regulation of Fee and

other Related Matters) Bill, 2021.

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to inform that the above Himachal Pradesh Private Schools (Regulation of Fee and other Related Matters) Bill, 2021, was placed before the CMM for consideration/approval in its meetings held on 15.03.2021, when CMM has decided to hold out vide ranging discussions on the said Bill,

You are, therefore, requested to upload the bill (copy enclosed) on departmental website in order to have the comments/suggestions from the general public latest by 20th June, 2021 and send the consolidated request alongwith your comments on each point/suggestions as received, to this department enabling us to proceed further in the matter.

This may be given PRIORITY.

Yours faithfully,

(Kultar Singh Rana)

Under Secretary (Education) to the Government of Himachal Pradesh

Encl: As above.

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 7 OF 2021

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE SCHOOLS (REGULATION OF FEE AND OTHER RELATED MATTERS) BILL, 2021

(As Introduced in the Legislative Assembly)

# THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE SCHOOLS (REGULATION OF FEE AND OTHER RELATED MATTERS) BILL, 2021

ARRANGMENT OF CLAUSES

Clauses:

#### CHAPTER I PRELIMINARY

- 1. Short title and commencement.
- 2. Definitions.

# CHAPTER II DETERMINAION AND COLLECTION OF FEE

- 3. Fee and factors for determination of fee.
- 4. Collection of fee.

# CHAPTER III PROCESS FOR REGULATION OF INCREMENT IN FEE

5. Process for submission of accounts and proposal of increment in fee.

# CHAPTER IV REGULATION OF RELATED ISSUES

- 6. Disclosures to be made by the private schools at the time of admission.
- 7. Prohibition of collection of excess fee and prescribing particular shops for books, stationery, bags, uniforms etc.
- 8. Parent Teacher Association.

# CHAPTER V DISTRICT FEE REGULATION COMMITTEE

9. Constitution of District Fee Regulation Committee.



- 10. Jurisdiction and headquarter of District Committee.
- 11. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of District Committee.
- 12. Procedure to be adopted by District Committee.
- 13. Powers and functions of District Committee.
- 14. Disposal of complaints regarding fee and related issues.
- 15. Order of refund and imposition of penalty.

# CHAPTER VI STATE FEE REGULATION APPELLATE AUTHORITY

- 16. State Fee Regulation Appellate Authority.
- 17. Appeals.

# CHAPTER VII REGULATION OF ACCOUNTS AND MAINTENANCE OF RECORDS

18. Regulation of accounts and maintenance of records.

### CHAPTER VIII MISCELLANEUOUS

- 19. Bar of jurisdiction of Civil Court.
- 20. Power of State Government to give directions.
- 21. Operation of other laws.
- 22. Protection of action taken in good faith.
- 23. Members of District Committee and State Appellate Authority, officers and employees to be public servant.
- 24. Power to make rules.
- 25. Power to remove difficulties.

Bill No. 7 of 2021

# THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE SCHOOLS (REGULATION OF FEE AND OTHER RELATED MATTERS) BILL, 2021

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

#### BILL

to provide for the regulation of fee and other related issues of the private schools in the State of Himachal Pradesh and other matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the Himachal Pradesh in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:—

# CHAPTER 1 PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Schools (Regulation of Fee and other Related Matters) Act, 2021.

  Short title and commence-
  - (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, appoint.
- 10 2. In this Act, unless the context otherwise requires,— Definitions.
  - (a) "academic year" means the year as specified by the Government or, as the case may be, by any Board or Council to which respective school is affiliated;
  - (b) "Competent Educational Authority" means and includes the Director Higher Education or the Director Elementary Education or the concerned affiliating Boards or any other authority as may be prescribed;

(c) "District Committee" means the District Fee Regulation Committee as constituted under section (d) "Early Childhood Care and Education Centre" means a centre like crèche, play school, day care centre or 5 kindergarten, nursery school or balwadi; (e) "fee" means fee as defined in sub-section (1) of section "Government" or "State Government" means the 10 Government of Himachal Pradesh; (g) "local authority" means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Panchyat constituted under the Himachal Pradesh Municipal Corporations Act, 1994, the Himachal Pradesh 15 Municipal Act, 1994 or the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 as the case may be; (h) "management" means the management committee or the governing body or a person, by whatever name called, to whom the affairs of the private school are entrusted; 20 "Notification" means a notification published in the Rajptra (e-Gazette), Himachai Pradesh; (j) "Parent Teacher Association (PTA)" means an organization consisting of parents, teachers and management constituted in the manner as may be 25 prescribed; (k) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act; (1) "private school" means any private primary, elementary, 30 middle, high school or higher secondary school

12 of 1994 13 of 1994 4 of 1994 including residential and partially residential school, private minority school, whether or not receiving any financial assistance from the Central Government or the State Government or local authority or public sector undertakings or semi-government organizations, but does not include a school imparting only religious education, Early Childhood Care and Education Centre and a school run by the State Government or any local authority:

10

5

(m) "profiteering" means any amount accepted in cash or kind, directly or indirectly which is in excess of the fee fixed or approved as per the provisions of this Act and shall include profit earned from school by trust or company associated with the school in any manner whatsoever;

15

(n) "related issues" means issues such as providing textbooks, stationery, reading material, school bags, uniform, transport services to the students and all such issues which cause the student or his parent or guardian to pay a sum of money directly or indirectly to the private school;

20

(o) "section" means a section of this Act; and

25

(p) "State Appellate Authority" means the State Fee Regulation Appellate Authority as constituted under section 16.

# CHAPTER II DETERMINATION AND COLLECTION OF FEE

30

3. (1) Fee means any amount by whatever name called, Fee and collected directly or indirectly by a private school for admission of a student to any standard or course of study, and shall include,—

determination of fee.

(a) tuition fee;

(b)	library fee;	
(c)	reading room fee;	
(d)	games fee;	
(e)	laboratory fee;	
(f)	computer fee;	5
(g)	caution money;	
(h)	examination fee;	
(i)	fee for programs organized on occasions such as national festivals, annual functions or sports events etc.;	ž
(j)	admission fee;	. 10
(k)	fee for registration, prospectus and admission form;	
(1)	any other amount which is mandatory for the student to pay; and	
(m)	any other amount payable by a student, which may be specified by the private school or the Government, as the case may be.	15
	The following factors shall be considered by the District or State Appellate Authority, as the case may be, while crement in fee,—	
(a)	the cost of the land, building and fixtures appurtenant thereto;	20
(b)	number of students;	
(c)	streams of study:	

- (d) expenditure incurred by the institution on the infrastructure and facilities provided;
- (e) expenditure on administration and maintenance;
- expenditure on providing free education to the weaker sections and disadvantaged groups in compliance of the Central Government policies or reimbursement thereof;
- (g) number of teaching and non-teaching staff and their qualifications;
- (h) salary of teaching and non-teaching staff;
- (i) assistance provided by the Government such as land or grants etc.;
- (j) student teacher ratio;

10

15

20

- (k) expenditure incurred on the students against total income of the school;
- (l) reasonable revenue surplus for the purpose of development and expansion of the school; and
- (m) any other factor as may be prescribed.
- (3) A private school shall determine its fee structure under subsections (1) and (2) for different classes or grades commensurate with, its operational expenses, providing for augmentation of facilities and expansion of infrastructure and for providing facilities to the students, to generate reasonable surplus to be utilised for development of educational purposes.
- (4) The Head of the every private school shall, file with the District Committee, a full statement of the fee to be levied or has been levied by such school during the ensuing academic year.
  - (5) Such private school shall upload the statement of fee on its website sixty days prior to the commencement of each academic year, and also publish the same on the notice board:
- Provided that in the year of commencement of this Act, it shall be within thirty days from the commencement of this Act.

(6) While publishing the statement of fee, the school shall also specify whether the payment is to be made in monthly or quarterly or half-yearly installments:

Provided that no school shall levy and collect the fee solely on annual basis.

5

(7) Notwithstanding anything contained in this Act, in extra ordinary conditions or emergent circumstances like, but not limited to acts of God, epidemics, Natural Calamities, wars or revoluations, civil commotions, floods etc; the Government may by order, regulate the fees to be charged by the private schools, from existing students and newly admitted students for each academic year till such time the aforesaid eventualities exist or as seems expedient in public interest to do so.

10

Collection of 4. (1) The procedure for collecting fee in a school shall be open, transparent and accountable.

15

(2) Refundable charges, security money or caution money shall be refunded to the student with interest as may be prescribed for the duration of deposit with the private school on clearing all applicable dues at the time of leaving the school by the student:

20

Provided that the amount of such refundable charges, security money or caution money shall not be more than fifty per cent of the composite annual fee:

2.72

- Provided further that the refundable charges, security money or caution money shall be refunded by the private school within thirty days from the issuance of transfer certificate through e-payment.
- 25
- (3) Receipt shall be issued for every fee or charge levied on the student.
- (4) The receipt of the fee so deposited shall be given to the student, parent or guardian in such manner as may be prescribed.



# CHAPTER III PROCESS FOR REGULATION OF INCREMENT IN FEE

(1) The District Committee shall be authorized to decide Process for quantum of the increment of fee. No private school shall enhance fee of accounts for an academic year without the prior approval of the District and proposal Committee.

in fee.

- (2) The management of every private school shall submit the proposed fee structure for an academic year with such documents and accounts in the manner, as may be prescribed.
- (3) The District Committee may allow increment in fee for an 10 academic year after examining the proposal submitted by the management under sub-section (2), in the manner as may be prescribed, subject to the maximum of six per cent increase of the fee determined in the preceding year.

### CHAPTER IV REGULATION OF RELATED ISSUES

(1) A private school shall, sixty days prior to Disclosures commencement of admissions in each academic year, publish on its to be made notice board and website the following details and a prospectus shall be private provided to a student along with the admission form,-

schools at the time of admission.

- (a) general information about the private school, accreditation, and affiliation;
- (b) admission policy;
- (c) details of the fee and fund structure for the previous year, current year and the following year;
- (d) details of facilities including hostel, sports, co-curricular activities and extra curricular activities;
- (e) details of student as to space ratio and a student teacher ratio;

5

15

20

- (f) details of the salaries of teachers in the last two academic years;
- (g) calendar of major events being organized by the private school throughout the academic year for the students;
- (h) calendar of major events being organized by the private school throughout the academic year for teachers' training and staff development programmes; and
- (i) any other matter, as may be prescribed.
- (2) Unless otherwise specified under this Act or the rules made thereunder and the information disclosed in sub-section (1), shall remain in the public domain for the entire academic year.

15

5

Prohibition of collection of excess fee and prescribing particular shops for books, stationary, bags, uniforms etc.

- 7. (1) No private school shall collect any fee in excess of the fee determined or approved by the District Committee for admission of students to any standard or course of study in that school.
- (2) No excess fee shall be collected by any person either for himself or on behalf of such private school or on behalf of the management of such private school.
- (3) No school itself or on its behalf shall collect any donation or capitation fee under any name whatsoever, or receive any deposit under any head under the school management, trust, company, or any trustee or member of the school. If any parent or guardian of a student pays voluntarily any amount referred to hereinbefore, he shall inform the concerned District Committee, the details of such payment on affidavit. The non-disclosure of the details shall amount to abetment to profiteering, committed by the school management.
- (4) Each private school shall open and operate a separate and only one bank account. The parents shall make payments of fee directly into the bank account of the school. The acknowledgement of receipt of the total collected fee from the parents shall be given in the form of ereceipt or counter-foil from bank or school concerned or in any other manner as may be prescribed.

25

30



- (5) The private school shall neither sell itself nor prescribed to the students or parents a particular shop for the purchase of the books, stationery, school bags and uniforms etc.
- (6) The school dress shall not be changed by school within five consecutive academic years. If change is required, it can only be changed with proper justification with prior approval of the District Committee.
- 8. (1) There shall be only one Parent Teacher Association Parent (PTA) in every private school, which shall function for issues other Association. than mentioned in this framework.

- (2) The nature, duties and responsibilities of a Parent Teacher Association shall be such as may be prescribed.
  - (3) The private school shall call regular meetings of all the parents for discussing various issues related to the well being of students and running of schools.

#### CHAPTER V DISTRICT FEE REGULATION COMMITTEE

9. (1) The Government shall constitute a District Fee Constitution Regulation Committee for each District for the purpose of regulation of District Fee and determination of the fee for any standard or course of study in private Regulation schools.

Committee.

- (2) The District Committee shall consist of the following members, namely:--
  - Deputy Commissioner of the District Chairperson;
  - 2. Deputy Director of Higher Education Member of the District Secretary;
    - Deputy Director of Elementary Member; Education of the District
  - Section Officer/Assistant Controller/ Member; Deputy Controller/Joint Controller (Finance) nominated by the Chairperson
  - Member; and one representative from the private school management of the

12

5

10

15

20

25

respective district, to be nominated by the Chairperson for a period of three year

 One Academician of repute, to be nominated by the Chairperson for a period of three year Member.

TO THE POST OF THE PARTY OF THE

d athoritores

(3) The honorarium and allowances payable to and other terms and conditions of service of members of the District Committee shall be such as may be prescribed;

Jurisdiction and headquarter of District Committee. 10. (1) The jurisdiction of each District Committee shall be the district concerned.

10

5

(2) The headquarter of the District Committee shall be the office of Deputy Director of Higher Education of the District concerned.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings of District Committee. 11. (1) if any vacancy occurs by reason of death, resignation, expiry of term of office or termination of appointment of the member or for any other cause whatsoever, such vacancy shall be filled in by the State Government as soon as possible within a period of six months from the date of occurrence of the vacancy.

15

(2) No act or proceeding of the District Committee shall be questioned or shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the District Committee.

20

Procedure to be adopted by District Committee. 12. (1) The District Committee shall meet as and when necessary but at least once in a quarter at such time and place as the Chairperson may deem fit.

25

(2) The District Committee shall adopt its own procedure for the conduct of its business.

30

(3) All orders and decisions of the District Committee shall be authenticated by the Chairperson of the District Committee or the person duly authorized by him in this behalf.

Powers and functions of District Committee.

- 13. (1) Subject to the provisions of this Act, the District Committee shall determine and regulate the fee payable by students in the private schools in the manner, as may be prescribed.
  - (2) The District Committee shall have power to,-

- (a) require each private school to place before it, the proposed fee structure of such school along with all relevant documents and books of accounts for scrutiny before such date as may be specified, by the District Committee;
- (b) verify whether the fee proposed or being levied by the private school is justified or it amounts to profiteering or charging of excess fee;
- approve the existing fee structure or regulate the fee which can be charged by the private school;
- (d) verify whether the private school, operating within the territory of the State of Himachal Pradesh, is recognized by the Competent Educational Authority or affiliated to the Himachal Pradesh Board of School Education or Central Board of Secondary Education or Council for Indian School Certificate Examinations or International Baccalaureate or any other board, as the case may be and the school imparts instructions specified by the concerned board as referred to hereinbefore;
- hear complaints or initiate suo moto hearing with regard to collection of excess fee by a private school;
- (f) initiate penal proceedings as per the provisions of this Act; and
- (g) report the matter to the respective Competent Educational Authority that the school has collected excess fee and it has not complied with the provisions of the applicable Acts and rules made thereunder or instructions imparted by the concerned Board, for appropriate action.
- (3) (a) for the purposes of this Act, the District Committee while holding inquiry shall have the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908, while

10

15

20

25

30

5 of 1908

trying a suit in respect of the following matters, namely:—

- summoning and enforcing the attendance of any witness examining him on oath;
- (ii) requiring the discovery and production of any document;
- (iii) receiving evidence on affidavit; and
- (iv) issuing commission for examination of witnesses for local inspection;
- (b) all inquiries and revisions under this Act shall be deemed to be the judicial proceedings within the meaning of sections 193, 219 and 228, of the Indian Penal Code, 1860.

45 of 1860

10

15

20

5

Disposal of complaints regarding fee and related issues.

- 14. (1) The District Committee shall enquire into a complaint made by a parent or guardian of a student or a student, regarding violation of any provision of this Act and the rules made thereunder, committed by the management of the private school in which the student is studying.
- (2) The District Committee may take suo moto cognizance of violation of any of the provision of this Act and the rules made thereunder and inquire into the same.
- (3) The District Committee may authorize any officer not below the rank of the Block Primary Education Officer or the Principal to enter the premises of the private school against whom inquiry has been instituted under sub-section (1) and (2) above.
- (4) The officer authorized under sub-section (3) shall search, inspect and seize documents, which appear necessary and relevant for the conduct of inquiry.
- (5) The District Committee shall give opportunity of hearing to the management of the private school against whom inquiry has been instituted.

30

15. (1) If on completion of the inquiry under section 14, the Order of District Committee finds that fee or any other amount in excess than imposition permitted under this Act, has been collected, it shall direct the of penalty. management of the said private school to refund twice of the amount to the student or his parents or guardian or the person who has made the payment.

- (2) The District Committee shall in addition to the order of refund under sub-section (1), impose a penalty up to rupees one lakh on the management of the private school concerned where order of refund has been issued for the first time; and a penalty, which shall not be less than rupees two lakhs, but shall not exceed rupees five lakhs where order of refund is issued for second time. For the subsequent contraventions, the private school may be barred from taking new admissions in the next academic year.
- (3) The District Committee in addition to imposition of penalty mentioned in sub-section (2), may also make recommendation to the Competent Educational Authority to suspend or cancel the recognition or withdraw the No Objection Certificate of the said private school.
- (4) If the management of the private school fails to refund the amount or pay penalty imposed as ordered under this section, the District Committee shall proceed to recover the amount and the penalty as an arrear of land revenue and the amount so recovered shall be paid to such persons mentioned in the order and the penalty deposited in such manner as may be prescribed.

#### CHAPTER VI STATE FEE REGULATION APPELLATE AUTHORITY

16. (1) The Government shall constitute a State Fee Regulation State Fee Appellate Authority for the purpose of hearing appeals against the order Appellate passed by the District Committee. The headquarter of the State Appellate Authority. Authority shall be the Directorate of Higher Education, Himachal Pradesh at Shimla.

30

5

10

15

20

	14		
(2) members, r	The Appellate Authority shall consistantly:—	t of the following	
1.	Director of Higher Education, Himachal Pradesh	Chairperson;	
2.	Director of Elementary Education, Hirnachal Pradesh	Member;	5
3.	Additional/Joint/Deputy Director in the Directorate of Higher Education to be nominated by the Chairperson	Member Secretary;	
4.	Deputy Controller or Joint Controller (Finance) in the Directorate of Higher/ Elementary Education to be nominated by the Chairperson	Member;	10
5.	one representative from the private school managements to be nominated by the Chairperson for a period of three years	Member; and	15
6.	one academician of repute to be nominated by the Chairperson for a period of three years	Member.	20
and conditi	The honorarium and allowances payable ons of service of members of the State Ach as may be prescribed.	e to and other terms Appellate Authority	25
Committee	(1) A person aggrieved by the ord- may file an appeal before the State Appella twenty one days from the date of such o	ate Authority within	
Pro the aggriev	vided that if the State Appellate Author	ity is satisfied that appeal within the	30

Appeals.

Provided that if the State Appellate Authority is satisfied that the aggrieved person was prevented from filing an appeal within the prescribed time for sufficient cause, it may condone the delay and shall allow the appeal but not later than three months.

- (2) The State Appellate Authority shall decide the appeal with such time and in such manner as may be prescribed.
- (3) The orders passed by the State Appellate Authority shall be final and binding on the parties concerned.

### CHAPTER VII REGULATION OF ACCOUNTS AND MAINTENANCE OF RECORDS

5

10

15

20

25

30

18. (1) The private schools shall maintain such records and Regulation accounts in such form and manner as may be prescribed.

of accounts maintenance of records.

- (2) Every private school shall maintain records and accounts for different kinds of transactions like the fees collected, the grants received, financial assistance received including funds from Non Resident Indians, payments of salary of staff, purchase of machinery and equipments, furniture, laboratory articles, sports equipments, library books, stationary and other expenditure incurred towards payments to the agencies, companies hired or engaged by the school for different kinds of services. The accounts so maintained shall be audited in the manner as may be prescribed.
- (3) Every private school shall keep the accounts and the records within the premises of the educational institution and shall make them available at all reasonable times for inspection by the District Committee or the State Appellate Authority or its authorized officer.
  - (4) The accounts maintained by the private schools together with all vouchers relating to various items of receipts and expenditures shall be preserved by the schools for a period of seven years.

#### CHAPTER VIII **MISCELLANEOUS**

19. No Civil Court shall have the jurisdiction to deal with or Bar of decide any question which the District Committee or the State Appellate of Civil Authority is empowered to deal with or decide under this Act and no Court.

injunction shall be granted by any Civil Court in respect of any action taken or to be taken in pursuance of any of the provisions of this Act.

Power of State Government to give directions. 20. The State Government may, from time to time, issue general or special directions consistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, which in its opinion are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act or for giving effect to any of the provisions contained therein or in any rules or orders made thereunder and the management of the private school shall be bound by such directions.

Operation of other laws.

21. Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of any other law for the time being in force.

10

5

Protection of action taken in good faith. 22. No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against the District Committee or the State Appellate Authority or their members or any officer, authority or person empowered to exercise the powers or perform the functions by or under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules made thereunder.

15

20 -

Members of District Committee and State Appellate Authority, officers and employees to be public servant. 23. All the members of the District Committee and the State Appellate Authority, officers and employees while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this Act or rules made thereunder, be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

45 of 1860

Power to make rules. **24.** (1) The Government may, by notification in the Rajptra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules for carrying out the purposes of this Act.

25

(2) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is so made, before the State Legislative Assembly, while it is in session, for a period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if

before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions aforesaid, the Legislative Assembly resolves to make modification in any of such rule or resolves that any such rule should not be made, such rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

25. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions Power to of this Act, the Government may, by general or special order published remove in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the State Legislative Assembly.

10

5

(219)

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS


The State Government has been making earnest efforts to impart adequate and qualitative education to all the children in the State of Himachal Pradesh. However, the Government from time to time has received a number of complaints from the public and parents about the commercialisation of education by private schools and collection of amount in different heads in the name of fee. Furthermore, unexpected increase in fee every year has resulted into unjustified and undesired financial burden on the part of parents. The Hon'ble Supreme Court in Modern Dental College and Research Centre versus State of M.P.; (2016) 7 SCC 353 while referring to the earlier judgments in T.M. A Pai Foundation, P.A. Inamdar and Unni Krishnan has held that in order to see that the educational institutions are not indulging in commercialisation and exploitation, the Government is equipped with necessary powers to take regulatory measures and to ensure that these educational institutions keep playing vital and pivotal role to spread education and not to make money. So much so, the Court was categorical in holding that when it comes to the notice of the Government that a particular institution was charging fee or other charges which are excessive, it has a right to issue directions to such an institution to reduce the same. However, the guidelines issued by the Education Department from time to time in this regard have not been able to achieve the desired results. Therefore, it has become expedient to enact a law to regulate fee and related issues in the private schools.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(GOVIND SINGH THAKUR)

Minister-in-charge.

SHIMLA	:	
	Я	
The		2021



#### FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, when enacted will entail recurring expenditure to the tune of Rs. 2,50,000/- (Rupees two lakh fifty thousand) approximately per annum.

### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 24 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

# RECOMMENDATION OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Shiksha-II-Chha (11)-1/2006 Part-I)

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Private Schools (Regulation of Fee and other Related Matters) Bill, 2021, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.



# THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE SCHOOLS (REGULATION OF FEE AND OTHER RELATED MATTERS) BILL, 2021

A

#### BILL

to provide for the regulation of fee and other related issues of the private schools in the State of Himachal Pradesh and other matters connected therewith and incidental thereto.

(GOVIND SINGH THAKUR)

Minister-in-charge.

(YASHWANT SINGH CHOGAL)

Principal Secretary (Law).

SHIMLA:

The ....., 2021.

राजकीय मुद्रणालय, हिं० प्र0, शिमला—-0000-जुड०/2021—14-3-2021—175 प्रतियां।

2021 का विधेयक संख्यांक 7

हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालय (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) विधेयक, 2021

# हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालय (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) विधेयक, 2021

### खण्डों का क्रम

खण्ड :

अध्याय 1 प्रारम्भिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
- 2. परिभाषाएं।

### अध्याय 2 फीस का अवधारण और संग्रहण

- 3. फीस और फीस के अवधारण के लिए कारक।
- 4. फीस का संग्रहण।

## अध्याय 3 फीस वृद्धि के विनियमन के लिए प्रक्रिया

लेखों को प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया और फीस वृद्धि का प्रस्ताव।

### अध्याय 4 सम्बन्धित विवाद्यकों का विनियमन

- 6. प्राइवेट विद्यालयों द्वारा प्रवेश के समय किया जाने वाला प्रकटीकरण।
- अधिक फीस का संग्रहण करने और पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैगज, वर्दी आदि के लिए विशेष दुकानें विहित करने का प्रतिषेध।
- 8. अभिभावक-शिक्षक संगम।

## अध्याय 5 जिला फीस विनियमन समिति

- 9. जिला फीस विनियमन समिति का गठन।
- 10. जिला समिति की अधिकारिता और मुख्यालय।

# । एक्रीप्र क्षिक नार कि क्षितिक छ। इसिक्ष । किर्मी । ानित न प्रनामधीकीस्ट एक फिडीकिशक कि ठीमिस्ट फिफी से ज्ञीस्ट फिफ्सिप्त 15.

। फकु प्रीध फिक्तीड़ कि तीमीम किली

। काडाकी जिम्हास सेस्ट और उससे सम्बन्धित विवाद्यक।

। एए। भीवदाय का आदेश और शास्ति क प्राप्नित त

# राज्य कीस विनियमन अपील प्राधिकरण अध्याय ६

# 17. अपील। । एरकधीर जिपस नमधनी भिक्त प्रणार . ३१

# लेखों का विनियमन और अभिलेखों का अनुरक्षण अध्याय ७

। एक्ष्रमृष्ट क छिनिमार और ममधनीठी क छिन . ८१

### lotok अध्याय 8

20. भिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

। क्तीड़ कि र्रंड एड्डेन कि ज्ञाकप्रम स्थार

। निकेषर कि किश्वीकी फ़न्छ 21.

.53 । एक्स्पर्ध प्रज्ञी के ड्राष्ट्रीक ड्राप्ट कि कोपूर्धाण । 22.

क रिजाहमेक और राज्य अपील प्राधिकरण के एउरस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का

। क्तीष्ट कि नान्छ मधनी .24.

। क्तीष्ट कि निष्क प्रृट्ट कि धिड्डान्ठीक

# 2021 का विधेयक संख्यांक 7

# हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालय (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) विघेयक, 2021

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट विद्यालयों की फीस और अन्य सम्बन्धित विवाद्यकों के विनियमन और उन से सम्बन्धित तथा उनके अनुषांगिक अन्य मामलों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

### अध्याय 1 प्रारम्भिक

5

10

- 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालयं संक्षिप्त नाम, (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) अधिनियम, 2021 है। और प्रारम्म।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
  - 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिमाषाएं।
    - (क) "शैक्षणिक वर्ष" से, ऐसा वर्ष अभिप्रेत है जैसा सरकार द्वारा, यथास्थिति, किसी बोर्ड या परिषद्, जिससे सम्बन्धित विद्यालय सहबद्ध है, द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किया जाए;
    - (ख) ''सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण'' से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत निदेशक उच्चतर शिक्षा, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा और सम्बद्ध सहबद्ध बोर्ड या कोई अन्य प्राधिकरण, जैसा विहित किया जाए, भी हैं;
    - (ग) "जिला समिति" से, धारा 8 के अधीन यथा गढित जिला फीस विनियमन समिति अभिप्रेत है;



2.

- (घ) "प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केन्द्र" से, ऐसे केन्द्र जैसे शिशुसदन (क्रेच) प्ले—स्कूल, डे—केयर सेन्टर या शिशुशाला, नर्सरी स्कूल या बालबाड़ी अभिप्रेत है;
- (ङ) "फीस" से, धारा 3 की उपधारा (1) में यथा परिभाषित फीस अभिप्रेत है:

(च) "सरकार" या "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(छ) "स्थानीय प्राधिकरण" से, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् और पंचायत अभिप्रेत है:

10

5

(ज) "प्रबन्धन" से, प्रबन्ध समिति या शासी निकाय या कोई व्यष्टि, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिसे प्राइवेट विद्यालय के कार्यकलाप सौंपे गए हैं, अभिप्रेत है;

15

- (झ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (ञ) "अभिभावक—शिक्षक संगम (पी० टी० ए०)" से, अभिभावकों, शिक्षकों और ऐसी रीति, जैसी विहित की जाए, में गठित प्रबंधन से मिलकर बनने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है;

20

- (ट) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ठ) "प्राइवेट विद्यालय" से, कोई प्राइवेट प्राथमिक, प्रारम्भिक, माध्यमिक, उच्च विद्यालय या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभिप्रेत है और इसमें पूर्णतः आवासीय और भागतः आवासीय

25

1994 का 12 1994 का 13

1994 का 4

6.

विद्यालय, प्राइवेट अल्पसंख्यक विद्यालय, चाहे वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या पिल्लक सेक्टर उपक्रम या अर्ध—शासकीय संगठनों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है या नहीं, भी सिमालित है। किन्तु इसके अन्तर्गत केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केन्द्र तथा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संचालित विद्यालय सिमालित नहीं है;

10

5

(ड) "मुनाफाखोरी" से, नकद या वस्तु रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अभिप्राप्त कोई रकम जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नियत या अनुमोदित फीस से अधिक है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विद्यालय से सहबद्ध किसी न्यास या कम्पनी द्वारा किसी भी रीति, चाहे जो भी हो, में विद्यालय से अर्जित लाम भी हैं;

15

(ढ) "सम्बन्धित विषय" से, ऐसे विषय अभिप्रेत हैं जैसे पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, वाचन सामग्री, स्कूल बैगज़, वर्दी, छात्रों के लिए परिवहन सेवा प्रदान करना और समस्त ऐसे विषय जो छात्र या उसके माता—पिता या संरक्षक द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राइवेट विद्यालय को धनराशि संदत्त करने का कारण हों;

20

- (ण) "धारा" से, इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है; और
- (त) "राज्य अपील प्राधिकरण" से, इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन यथा गठित राज्य फीस विनियमन प्राधिकरण अभिप्रेत है।

25

# अध्याय 2 फीस का अवधारण और संग्रहण

3. (1) फीस का तात्पर्य किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा किसी भी कक्षा फीस और या अध्ययन पाठ्यक्रम में किसी छात्र के प्रवेश के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः के अवधारण के लिए कारक। संगृहीत राशि चाहे, वह किसी भी नाम से जानी जाती हो, है और जिसमें,---

	(ক)	शिक्षण फीस;	
	(ख)	पुस्तकालय फीस;	
	(ग)	वाचनालय फीस;	
	(ঘ)	खेल फीस;	5
	(ङ)	प्रयोगशाला फीस;	
	(ঘ)	कम्प्यूटर फीस;	
	(छ)	अवधान राशि;	
	(ज)	परीक्षा फीस;	
	(झ)	अवसर, जैसे राष्ट्रीय पर्व, वार्षिक उत्सव या खेल-कूद स्पर्धा आदि 1 पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए फीस;	0
	(স)	प्रवेश फीस;	
	(군)	रजिस्ट्रीकरण, विवरण पत्रिका और प्रवेश प्ररूप के लिए फीस;	
	(ਫ)		5
	(ভ)	छात्रों द्वारा संदेय कोई अन्य राशि जो, यथास्थिति, प्राइवेट विद्यालय या सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए,	
	भी र	मिमिलित है।	
या राज्य	(2) I अपी	फीस में वृद्धि का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, जिला समिति वि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाएगा,—— 2	20
	<u> </u>		

W 1002	
(4) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय का प्रमुख, जिला समित के प्रमुख कामिति के विद्यालयों होएं कि निर्धित के के काणि हि निर्देश के के कि कि निर्देश के कि	52
(इ) मिल क्रिए जाए। जिल हित कि जाए जाए होत (इ) (इ) क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्षिण क्ष्म होत (६) अहेत (६) अहेत महेत के जाई माई के क्षिण क्ष्म जाई के मिल के कि जाई के मिल के कि जाई के क्ष्म के कि जाई के कि जाई के कि जाई के कि का क्ष्म के कि मां के मां के कि मां मां के कि मां मां के कि मां मां के कि मां मां के कि मां मां के कि मां	07
(ञ) जियानक अनुपात; (ठ) विद्यालय की कुल आय में से छात्रों पर उपगत व्यय; (ठ) विद्यालय के विकास और विस्तार के प्रधोजन के जित्रधुक्त गुभर अतिशेष; और	ŞĪ
(ज) अध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द का वेतन; (झ) सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता जैसे कि भूमि या अनुदान आदि;	
किन्छ प्रध्यापन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द की संख्या और उनकी	01
(घ) अवसरचना और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं पर संस्थान द्वारा ठपगत व्यय; (ङ) प्रशासन और अनुरक्षण पर व्यय; (ह) के प्रतासन में मिलामेर के धनुपान में कापणेर वर्ग और विहों तहींचे प्रकार में के अनुपालन में मिलामेर के धनुपालन में कापणेर वर्ग के प्रकार में के अनुपाल के प्रतास के प्रकार में के अनुपाल के प्रकार में के प्रकार में के अनुपाल के प्रकार में के अनुपाल के प्रकार में के प्र	ç
(ग) अध्ययन सकायः	
हें (म्छोर कि सिछ (म्	y
	<i>/</i>

		9	, , ,
Æ			
		\$	

के मंग्रार के मधनिधिर कड़ के इं में के के मंग्रार के मधनिधिर कड़ हुन्प्रम । ति कि के भीते के मिले

अंतिनि कि उर अलाडिन समर तेरक ताष्ट्रीकार एउटन कि सिक्ष (३) एक में फिड़की क्ष्रीविध ए कस्रीम है ए कस्रीम प्राइंड एक की गर्फक : ई ग्नाफ

जिल्लालय कीस् में विद्यालय किस्से का उद्ग्रहण और संग्रहण केवल वार्षिक

4. (1) किसी विद्यालय में फीस संगृहीत करने की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और जवाबदेह होगी;

(2) छात्र द्वारा विद्यालय छोड़ने के समय समस्त लागू देयों के समाश्राम के प्रमुद्ध प्राप्त तार्गू देयों के मास प्रमित प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त के प्राप्त प्राप्त के प्राप्त के अवधि के अवधि कि प्राप्त कि प्राप्त के अवधि के अवधि कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्राप्त कि

मक्त्र कि ांद्रीए नाथक्ध ार शिए त्रिएतीए ,प्राम्पर एर्ट्रतीए क्रि क्रुप्र : मिडि डिन कंडीस के ताइतीर माइप के मिक्ष केष्रीाठ (उस्तीय्मक) ाण्ड्रामीस

उर्हड़ाए ख़ीर नाथकस ाय ख़ीर जिस्तीर, ज़मर प्रर्नित की प्रींध उर कुप्प कि नंप्रक ज़िए कि हम गामर ग्यान्स के मध्यम के घाड़में—ई एगड़ फिलाड़िवी | गिग्गार कि घाड़ितर प्रतिष्ट के ब्रोबार कि नड़ी सित के छिड़ित

> ाक फ्रिक्स | एड्रप्रेस

50

SI

01

5

- (3) छात्रों से उद्गृहीत की जाने वाली प्रत्येक फीस या प्रभार के लिए रसीद जारी की जाएगी।
- (4) इस प्रकार निक्षिप्त (जमा) की गई फीस की रसीद ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, छात्र, अभिभावक या संरक्षक को दी जाएगी।

5

10

15

# अध्याय 3 फीस वृद्धि के विनियमन के लिए प्रक्रिया

5. (1) जिला समिति फीस में वृद्धि की प्रमात्रा विनिश्चित करने के लेखां को लिए प्राधिकृत होगी। कोई भी प्राइवेट विद्यालय जिला समिति के पूर्व अनुमोदन प्रस्तुत करने के लिए की बिना किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस में वृद्धि नहीं करेगा। प्रक्रिया और फीस वृद्धि का

(2) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय का प्रबंधन किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए ऐसे दस्तावेजों और लेखों सहित प्रस्तावित फीस संरचना, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) जिला समिति उपधारा (2) के अधीन प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात् किसी शैक्षणिक वर्ष के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, पूर्ववर्ती वर्ष में अवधारित फीस में अधिकतम छह प्रतिशत वृद्धि के अध्यधीन फीस में वृद्धि अनुज्ञात कर सकेगी।

### अध्याय 4 सम्बन्धित विवाद्यकों का विनियमन

- 6. (1) कोई प्राइवेट विद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश के प्रारम्भ प्राइवेट 20 होने से साठ दिन पूर्व अपने नोटिस बोर्ड और वैबसाइट पर निम्नलिखित ब्यौरे विद्यालयां प्रदर्शित करेगा और छात्रों को प्रवेश प्रपत्र सहित विवरणिका उपलब्ध करवाएगा,— के समय
  - (क) प्राइवेट विद्यालय के बारे में साधारण जानकारी, प्रत्यायन और प्रकटीकरण। सम्बद्धता;

15

20

- (ख) प्रवेश नीति;
- (ग) पूर्ववर्ती वर्ष, चालू वर्ष और आगामी वर्ष के लिए फीस के ब्योरे और निधि संरचना:
- (घ) छात्रवास, खेल-कूद, पाठ्यक्रमेत्तर गतिविधियां और पाठ्येत्तर गतिविधियों सहित प्रसुविधाओं के ब्यौरे;
- (ङ) स्थान अनुपात के अनुरूप छात्र और छात्र-शिक्षक अनुपात के ब्यौरे;
- (च) पूर्ववर्ती दो शैक्षणिक वर्षों में शिक्षकों के वेतन के ब्यौरे;
- (छ) प्राइवेट विद्यालयों द्वारा छात्रों के लिए सम्पूर्ण वर्ष के दौरान आयोजित करवाए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों का कलैण्डर;
- (ज) प्राइवेट विद्यालयों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण और कर्मचारिवृंद विकास 10 कार्यक्रमों के लिए सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के दौरान आयोजित करवाए जा रहे मुख्य कार्यक्रमों का कलैण्डर; और
- (झ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।
- (2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन और उपधारा (1) में प्रकट की गई जानकारी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो तब तक सम्पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए लोकाधिकारी क्षेत्र में रहेगी।

अधिक फीस 7<sub>.</sub> (1) कोई भी प्राइवेट विद्यालय जिला समिति द्वारा उस विद्यालय का सं<sup>ग्रहण</sup> में किसी श्रेणी या पाठ्यक्रम के छात्रों के प्रवेश के लिए नियत या अनुमोदित फीस पुस्तक, लेखन से अधिक फीस का संग्रहण नहीं करेगा। सामग्री, स्कूल

बैगज वर्दी आदि के लिए (2) किसी व्यक्ति द्वारा या तो स्वयं के लिए या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन के निमित्त या ऐसे प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन के निमित्त कोई अधिक फीस विहित करने संगृहीत नहीं की जाएगी।

- (3) कोई विद्यालय स्वयं या उसके निमित्त कोई दान या प्रतिव्यक्ति फीस, चाहे किसी भी नाम से हो, संगृहीत नहीं करेगा या विद्यालय प्रबन्धन, न्यास, कम्पनी या किसी न्यासी या विद्यालय के सदस्य के अधीन किन्हीं शीर्षों के अधीन कोई निक्षेप प्राप्त नहीं करेगा। यदि किसी छात्र के माता—पिता या संरक्षक इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट कोई राशि स्वेच्छा से संदत्त करता है तो वह ऐसे संदाय के ब्यौरे शपथ पत्र पर सम्बद्ध जिला समिति को सूचित करेगा और उस के ब्यौरों का प्रकट न किया जाना विद्यालय प्रबन्धन द्वारा की गई मुनाफाखोरी का दुष्प्रेरण समझा जाएगा।
- (4) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय पृथक और केवल एक ही बैंक खाता खोलेगा और चलाएगा। अभिभावक फीस का संदाय प्रत्यक्षतः विद्यालय के बैंक खाते में करेंगे। अभिभावकों से कुल संगृहीत फीस की प्राप्ति की अभिस्वीकृति ई-रसीद या बैंक या सम्बद्ध विद्यालय से प्रतिपर्ण या किसी अन्य रीति, जैसी विहित की जाए, के रूप में दी जाएगी।

- (5) प्राइवेट विद्यालय पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैगज़ और वर्दी आदि न तो स्वयं विक्रीत करेंगे और न ही छात्रों या अभिभावकों को उनके क्रय हेतु कोई विशिष्ट दुकान विहित करेंगे।
  - (6) विद्यालय द्वारा विद्यालय वर्दी पाँच क्रमवर्ती शैक्षणिक वर्षों के भीतर परिवर्तित नहीं की जाएगी। यदि परिवर्तन अपेक्षित है तो इसे केवल उचित न्यायोचितता सहित जिला समिति के पूर्व अनुमोदन से परिवर्तित किया जा सकता है।
- 20 **8.** (1) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय में केवल एक ही अभिभावक—शिक्षक अभिभावक— संगम (पी0 टी0 ए0) होगा, जो इस संरचना (फ्रेमवर्क) में वर्णित मामलों से अन्यथा संगम। के लिए कार्य करेगा।
  - (2) अभिभावक—शिक्षक संगम का स्वरूप, कर्तव्य और उत्तरदायित्व ऐसे होंगे, जैसे विहित किए जाएं।
- 25 (3) प्राइवेट विद्यालय छात्रों के कल्याण से सम्बद्ध विभिन्न मामलों पर चर्चा करने और विद्यालयों को चलाने के लिए समस्त अभिभावकों की नियमित बैठकें बुलाएगा।



## अध्याय 5 जिला फीस विनियमन समिति

जिला फीस विनियमन समिति का गठन।	9. (1) सरकार, प्रत्येक जिला के लिए प्राइवेट विद्यालयों में किसी श्रेणी या पाठ्यक्रम के लिए फीस के विनियमन और अवधारण के प्रयोजन के लिए जिला फीस विनियमन समिति गठित करेगी।	5
	(2) जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगी, अर्थात्:-	
	1. जिला का उपायुक्त अध्यक्ष;	
	<ol> <li>जिला का उप-निदेशक, सदस्य सचिव;</li> <li>उच्चतर शिक्षा</li> </ol>	
	3. जिला का उप—निदेशक, सदस्य; प्रारम्भिक शिक्षा	10
	<ol> <li>अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट अनुमाग सदस्य;</li> <li>अधिकारी/सहायक नियन्त्रक/</li> <li>उप नियन्त्रक/संयुक्त नियन्त्रक (वित्त)</li> </ol>	
	5. अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के सदस्य; और लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सम्बद्ध जिला के प्राइवेट विद्यालय प्रबन्धन से एक प्रतिनिधि	15
	<ul> <li>अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अविध के सदस्य।</li> <li>लिए नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला</li> <li>ख्यातिप्राप्त एक शिक्षाविद्</li> </ul>	20

(3) जिला फीस विनियमन समिति के सदस्यों को संदेय मानदेय और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।

- 10. (1) प्रत्येक जिला समिति की अधिकारिता सम्बद्ध जिला में होगी। जिला समिति की अधिकारिता
- (2) जिला समिति का मुख्यालय सम्बद्ध जिला के उप—िनदेशक, उच्चतर और शिक्षा के कार्यालय में होगा।
- 11. (1) यदि मृत्यु, त्यागपत्र, पदावधि की समाप्ति या सदस्य की रिक्तियों आदि नियुक्ति की समाप्ति या किसी अन्य कारण से, चाहे जो भी हो, कोई रिक्ति होती से समिति की है, तो ऐसी रिक्ति राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव शीघ्र रिक्ति होने की तारीख से अविधिमान्य न छह मास की अवधि के भीतर भरी जाएगी।
  - (2) जिला समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस आधार पर प्रश्नगत या अविधिमान्य नहीं होगी कि जिला समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है।
  - 12. (1) जिला समिति जब कभी आवश्यक हो, किन्तु कम से कम जिला समिति तिमाही में एक बार, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी, जैसे अध्यक्ष उचित की जाने वाली समझे।
  - (2) जिला समिति अपने कार्य संचालन हेतु अपनी प्रक्रिया अंगीकृत करेगी।
    - (3) जिला समिति के समस्त आदेश और विनिश्चय जिला समिति के अध्यक्ष या उसके द्वारा इस निमित्तं सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।
- 13. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन जिला समिति प्राइवेट जिला समिति 20 विद्यालयों में छात्रों द्वारा संदेय फीस, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, और कृत्य। अवधारित और विनियमित करेगी।
  - (2) जिला समिति को निम्नलिखित शक्ति होगी,-
    - (क) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय से ऐसे विद्यालय की प्रस्तावित फीस संरचना सहित समस्त सुसंगत दस्तावेज और लेखा पुस्तकें ऐसी तारीख से पूर्व, जैसी जिला समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, जिला समिति के समक्ष समीक्षा हेतु रखने की अपेक्षा करने;

25

5

10

- (ख) यह सत्यापित करने कि प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रस्तावित या उद्गृहीत की जाने वाली फीस न्यायोचित है या यह मुनाफाखोरी या अधिक फीस प्रभारित करने की कोटि में आता है;
- (ग) विद्यमान फीस संरचना अनुमोदित करने या ऐसी फीस, जैसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्रभारित की जाए, विनियमित करने;
- (घ) यह सत्यापित करने कि हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर प्रचालित प्राइवेट विद्यालय सक्षम राज्य शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त है या, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद् या अन्तर्राष्ट्रीय बैकालॉरिएट या किसी अन्य बोर्ड से सहबद्ध है और विद्यालय इसमें इसके पूर्व यथा निर्दिष्ट सम्बद्ध बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट शिक्षण प्रदान करता है;
- (ङ) किसी प्राइवेट विद्यालय द्वारा अधिक फीस संग्रहण के सम्बन्ध में शिकायतें सुनने या स्वप्रेरणा से सुनवाई प्रारम्म 15 करने;
- (च) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दाण्डिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ करने; और
- (छ) सम्बद्ध सक्षम शैक्षणिक प्राधिकरण को मामले की रिपोर्ट करने कि विद्यालय ने अधिक फीस संगृहीत की है और इसने लागू विधियों और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों, सम्बद्ध बोर्ड द्वारा दिए गए निदेशों की अनुपालना नहीं की है, के लिए समुचित कार्रवाई करने।
- (3) (क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जिला समिति को जांच करते समय निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन

(1908 का 5)



## सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी, अर्थात्:-

- किसी साक्षी को समन करना और उसको हाजिर कराना, और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
- (ii) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना:
- (iii) शपथ पर साक्ष्य प्राप्त करना; और
- (iv) स्थानीय निरीक्षण हेतु साक्षियों की परीक्षा हेतु कमीशन जारी करना।
- (ख) इस अधिनियम के अधीन समस्त जांचें और पुनरीक्षण भारतीय 1860 का 45 दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193, 219 और 228 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी।

14. (1) जिला समिति प्राइवेट विद्यालय, जिसमें छात्र अध्ययनरत हैं, फीस सम्बन्धी की प्रबन्धन द्वारा किए गए इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी निपटान और उपबन्ध के अतिक्रमण की बाबत छात्र के अविभावक या संरक्षक या छात्र द्वारा की उससे गई किसी शिकायत की जाँच करेगी।

- (2) जिला समिति इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध के अतिक्रमण का स्वप्रेरणा से संज्ञान ले सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी।
- (3) जिला समिति खण्ड प्राथमिक शिक्षा अधिकारी या प्रधानाचार्य से अन्यून की पंक्ति के किसी अधिकारी को प्राइवेट विद्यालय, जिसके विरुद्ध 20 उपरोक्त उपधारा (1) और (2) के अधीन जांच संस्थित की गई है, के परिसर में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।
- (4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी, निरीक्षण और उनको जब्त कर सकेगा, जो जांच के संचालन हेतु 20 आवश्यक और सुसंगत प्रतीत होते हैं।

5

10

15

20

(5) जिला समिति, ऐसे प्राइवेट विद्यालयों, जिनके विरूद्ध जांच संस्थित की गई है, के प्रबन्धन को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

प्रतिदाय का

- 15. (1) यदि धारा 14 के अधीन जांच पूर्ण होने पर, जिला समिति को आदेश और यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात से अधिक फीस या कोई अन्य राशि संगृहीत की गई है, तो वह उक्त प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन को उक्त रकम का दोगुणा उस छात्र या उसके अभिभावक या संरक्षक या ऐसे व्यक्ति, जिसने संदाय किया है, को प्रतिदाय करने का निदेश देगी।
  - (2) जिला समिति उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय के आदेश के अतिरिक्त सम्बद्ध प्राइवेट विद्यालय के प्रबन्धन पर जहां प्रतिदाय का आदेश प्रथम बार किया गया है, वहां एक लाख रूपए तक की शास्ति और जहाँ प्रतिदाय का आदेश दूसरी बार जारी किया गया है, वहां शास्ति, दो लाख रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पाँच लाख रूपए से अधिक नहीं होगी, अधिरोपित करेगी। पश्चात्वर्ती उल्लंधनों के लिए प्राइवेट विद्यालय को आगामी शैक्षणिक वर्ष में नए प्रवेश लेने से वर्जित किया जा सकेगा।
  - (3) जिला समिति, उपधारा (2) में वर्णित शास्ति के अधिरोपण के अतिरिक्त सक्षम शैक्षणिक प्राधिकारी को उक्त प्राइवेट विद्यालय की मान्यता निलम्बित करने या रद्द करने या अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने की सिफारिश भी कर सकेगी।
  - (4) यदि प्राइवेट विद्यालय का प्रबन्धन रकम का प्रतिदाय करने में या इस धारा के अधीन यथा आदेशित अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, तो जिला समिति रकम और शास्ति को भू-राजस्व के किसी बकाया के रूप में वसूल करने के लिए अग्रसर होगी और इस प्रकार वसूल की गई रकम आदेश में वर्णित व्यक्तियों को संदत्त की जाएगी और शास्ति ऐसी रीति में निक्षिप्त की जाएंगी, जैसी विहित की जाए।

### अध्याय 6 राज्य फीस विनियमन अपील प्राधिकरण

25

राज्य फीस विनियमन अपील प्राधिकरण।

16. (1) सरकार, जिला समिति द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के प्रयोजन के लिए राज्य फीस विनयमन अपील प्राधिकरण का गठन करेगी। राज्य अपील प्राधिकरण का मुख्यालय शिमला, उच्चत्तर शिक्षा निदेशालय हिमाचल प्रदेश, में होगा।

- (2) अपील प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा, अर्थात्:—
  - (1) निदेशक, उच्चत्तर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

अध्यक्षः;

(2) निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश

5

20

25

सदस्य;

- (3) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सदस्य-सिचवः; अतिरिक्त/संयुक्त/उप निदेशकः, शिक्षा निदेशालय
- (4) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वााला उप नियन्त्रक या संयुक्त नियंत्रक (वित्त), उच्चत्तर/ प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय

सदस्य;

(5) अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला प्राइवेट विद्यालय प्रबन्धन से एक प्रतिनिधि

सदस्य; और

(6) अध्यक्ष द्वारा तीन वर्ष की अवधि के के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला ख्यातिप्राप्त एक शिक्षाविद् सदस्य।

- (3) राज्य अपील प्राधिकरण के सदस्यों को संदेय मानदेय और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं।
- 17. (1) जिला समिति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति राज्य अपील अपील। प्राधिकरण के समक्ष ऐसे आदेश की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु यदि राज्य अपील प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि व्यथित व्यक्ति को पर्याप्त कारण से (के लिए) विहित समय के भीतर अपील फाइल करने से निवारित किया गया था तो वह विलम्ब को उपमर्षित कर सकेगा और अपील को अनुज्ञात कर सकेगा, किन्तु तीन मास से अपश्चात् नहीं।

- (2) राज्य अपील प्राधिकरण, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अपील का विनिश्चय करेगा।
- (3) राज्य अपील प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अन्तिम और सम्बद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

## अध्याय 7 लेखों का विनियमन और अमिलेखों का अनुरक्षण

10

5

लेखां का 18. (1) प्राइवेट विद्यालय ऐसे अभिलेख और लेखों को ऐसे प्ररूप और विनियमन और ऐसी रीति में अनुरक्षित करेंगे, जैसे विहित किए जाएं। अभिलेखों का अनुरक्षण।

(2) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय संगृहीत फीस, प्राप्त अनुदान, प्राप्त वित्तीय सहायता जैसे विभिन्न प्रकार के संव्यवहारों, जिनके अंतर्गत अनिवासी भारतीयों से निधियां, कर्मचारिवृन्द के वेतन के संदाय, मशीनरी और उपस्करों का क्रय, फर्नीचर, प्रयोगशाला वस्तुएं, क्रीड़ा उपस्कर, पुस्तकालय पुस्तकें, लेखन—सामग्री और अभिकरणों को संदायों हेतु उपगत अन्य व्यय, विद्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए भाड़े पर ली गई या लगाई कंपनियां हैं, के लिए अभिलेख और लेखा अनुरक्षित करेंगे। इस प्रकार अनुरक्षित लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति में की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

20

- (3) प्रत्येक प्राइवेट विद्यालय, लेखाओं और अभिलेखों को शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों के भीतर रखेंगे और उनको जिला समिति या राज्य अपील प्राधिकरण या उनके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण हेतु समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध कराएंगे;
- (4) प्राइवेट विद्यालयों द्वारा अनुरक्षित लेखों सहित प्राप्तियों और व्ययों की विभिन्न मदों से संबंधित समस्त वाउचर विद्यालयों द्वारा सात वर्ष की अवधि के लिए परिरक्षित किए जाएंगे।



#### अध्याय 8 पकीर्ण

5

20

- 19. किसी सिविल न्यायालय को किसी ऐसे प्रश्न को निपटाने अथवा सिविल विनिश्चित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसको जिला समिति या राज्य की अपील प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन निपटाने अथवा विनिश्चित करने के अधिकारिता लिए सशक्त है और इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में की गई या का वर्जन। की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई व्यादेश किसी सिविल न्यायालय द्वारा नहीं दिया जाएगा।
- 20. राज्य सरकार, समय-समय पर, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए राज्य सरकार यण. राज्य तरपगर, तगय-तगप नर, इस जाया पन जार सन्वार न गर् की निदेश देने गए नियमों के उपबंधों से संगत, जो उसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों की शक्ति। 10 को कार्यान्वित करने या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों या इसमें अन्तर्विष्ट किन्हीं उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक या समीचीन हैं, साधारण या विशेष निदेश जारी कर सकेगी और प्राइवेट विद्यालय के प्रबंधन ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।
- 21. इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों 15 तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।
  - 22. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, की गई की गई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, जिला समिति या राज्य अपील प्राधिकरण लिए संरक्षण। या इनके सदस्यों या उनके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या इस अधिनियम द्वारा या के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के विरूद्ध न होंगी।
- 23. जिला समिति और राज्य अपील प्राधिकरण के सभी सदस्यों, जिला समिति अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए अपील गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में, कोई कार्य कर रहे हैं या उनका प्राधिकरण के 25 1860 का 45 कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थांतर्गत लोक सेवक हैं।

अधिकारियों कर्मचारिवन्द का लोक सेवक होना।



नियम बनाने की शक्ति।

- 24. (1) राज्य सरकार, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम, उनके इस प्रकार बनाए जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो दस दिन से अन्यून अविध के लिए, जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखे जाएंगे और यदि, उस सत्र के जिसमें वे इस प्रकार रखे गए हों या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व, राज्य विधान सभा ऐसे किन्हीं भी नियमों में उपान्तरण करती है या सहमत हो जाती है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होंगे या उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 25. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा राजपत्र (ई—गजट), हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कितनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

20

5

10

15

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।



#### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य में समस्त बालकों को पर्याप्त और गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है तथापि, सरकार को समय-समय पर आम जनता और अभिभावकों से प्राइवेट विद्यालयों द्वारा शिक्षा के वाणिज्यीकरण और फीस के नाम पर विभिन्न शीर्षों में रकम के संग्रहण की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, प्रति वर्ष फीस में अप्रत्याशित वृद्धि के परिणामस्वरूप अभिभावकों पर अनुचित और अवांछित वित्तीय बोझ पड़ा है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने टी एम ए, पाई फाऊंडेशन, पी ए ईनामदार और उन्नी कृष्णन में पूर्वतर निर्णयों को निर्दिष्ट करते हुए मॉडन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर बनाम स्टेट ऑफ एम पी; (2016) 7 एस सी सी 353 में अभिनिर्धारित किया है कि यह देखने के आशय से कि शैक्षणिक संस्थान वाणिज्यीकरण और शोषण में संलिप्त न रहें, सरकार के पास विनियामक उपाय करने और यह सुनिश्चत करने के लिए आवश्यक शक्तियां हैं कि ये शैक्षणिक संस्थान शिक्षा के विस्तार में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते रहें तथा धनार्जन न करें। यहां तक कि न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सुस्पष्ट था कि जब सरकार के ध्यान में आता है कि कोई विशिष्ट संस्थान अधिक फीस या अन्य प्रभार, जो कि अत्यधिक हैं, प्रभारित कर रहा था, तो उसे ऐसे किसी संस्थान को उसे कम करने हेतु निदेश जारी करने का अधिकार है। तथापि, शिक्षा विभाग द्वारा इस सन्दर्भ में समय-समय पर जारी मार्गदर्शक-सिद्धान्त प्रत्याशित परिणाम प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए प्राइवेट विद्यालयों में फीस और इससे सम्बन्धित मामलों को विनियमित करने के लिए कोई विधि अधिनियमित करना समीचीन हो गया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(गोविन्द सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री।

शिमला	1	
तारीख		202



## वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध अधिनियमित किए जाने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 2,50,000/— (दो लाख पचास हजार रुपए) रुपए का आवर्ती व्यय होगा।

# प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 24 राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (निस्त संख्या शिक्षा-II-छ (II)-1/2006 पार्ट-I)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालय (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) विधेयक, 2021 की विषय—वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।



# हिमाचल प्रदेश प्राइवेट विद्यालय (फीस और अन्य सम्बन्धित मामलों का विनियमन) विधेयक, 2021

हिमाचल प्रदेश राज्य में प्राइवेट विद्यालयों की फीस और अन्य सम्बन्धित विवाद्यकों के विनियमन और उनसे सम्बन्धित तथा उनके आनुषंगिक अन्य मामलों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

> (गोविन्द सिंह ठाकुर) प्रभारी मन्त्री।

(यशवन्त सिंह चोगल) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला	100 100	
तारीख	1	202